

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 14-मार्च, 2018

क्रमांक 689/3240/2017/ई/चार:- राज्य शासन एतद् द्वारा संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कॉलम (3) में उल्लेखित स्थान पर स्थानांतरित कर पदस्थ/अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है:-

क.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दीपक परिहार, उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा, नगर निगम, भोपाल अतिरिक्त प्रभार- उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा, विकास प्राधिकरण, भोपाल	प्रभारी संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, उज्जैन	श्री आर.के. सोनी, संयुक्त संचालक को क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, उज्जैन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए
2.	श्री अनिल कुमार गर्ग, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल अतिरिक्त प्रभार- उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	अतिरिक्त प्रभार- उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा, नगर निगम, भोपाल	आवासीय संपरीक्षा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए
3.	श्री आर.पी. गौतम, सहायक संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल अतिरिक्त प्रभार- आवासीय एवं पश्चात्वर्ती संपरीक्षा, जिला विदिशा एवं रायसेन	अतिरिक्त प्रभार- वर्तमान कार्य के साथ-साथ आवासीय संपरीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल	
4.	सुश्री सीमा मिश्रा, सहायक संचालक संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रकोष्ठ-भोपाल अतिरिक्त प्रभार- आवासीय संपरीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल	अतिरिक्त प्रभार- आवासीय संपरीक्षा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	आवासीय संपरीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए
5.	श्रीमती अनुराधा उपाध्याय, सहा. संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, संपरीक्षा, भोपाल	अतिरिक्त प्रभार- आवासीय संपरीक्षा, विकास प्राधिकरण, भोपाल	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( विजय कठाने )  
अवर-सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

.....2

पू.क. 690/3240/2017/ई/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14-मार्च,2018

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग के निज सहायक,
  2. संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा,म.प्र.प्रकोष्ठ,भोपाल,
  3. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा,उज्जैन/इन्दौर/भोपाल,
  4. संबंधित अधिकारी .....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग